



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 496]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 29, 2012/आश्विन 7, 1934

No. 496]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 29, 2012/ASVINA 7, 1934

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2012

सा.का.नि. 733(अ).—भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) की दिनांक 19 मई, 2010 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 426(अ) जो भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में पृष्ठ 1-22 पर प्रकाशित हुई थी तथा दिनांक 30 मार्च, 2012 के शुद्धि-पत्र सं. सा.का.नि. 270(अ) के साथ पठित थी, के पृष्ठ 12 पर नियम 1 के उप-नियम (2) को निम्नवत् पढ़ा जाएगा :—

“(2) वे 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होंगे।”

[फा. सं. एक्स-11014/4/2006-डीएफक्यूसी]

अरुण के. पण्डा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम दिनांक 21 दिसम्बर, 1945 की अधिसूचना सं. एफ. 28-10/45-एच(1) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और इन्हें आखिरी बार 17 जुलाई, 2012 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 575(अ) के तहत संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 29th September, 2012

G.S.R. 733(E).—In the notification of Government of India, Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare) No. G.S.R. 426(E), dated 19th May, 2010 published in Part II, Section 3, Sub-section (i) at pages 1-22 of the Gazette of India, Extraordinary, and read with the Corrigendum G.S.R. 270(E), dated the 30th March, 2012, at page 12, sub-rule (2) of rule 1, shall be read as follows :—

“(2) They shall come into force with effect from the 1st day of April, 2013.”

[F. No. X-11014/4/2006-DFQC]

ARUN K. PANDA, Jt. Secy.

Foot Note :—The principal rules were published in the Gazette of India *vide* Notification No. F. 28-10/45-H(I), dated 21st December, 1945 and last amended *vide* Notification number G.S.R. 575(E), dated 17th July, 2012.